Allocation of Revenue from Road Sector

1070. DR. MOHAN BABU: Will the Minsiter of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that road related revensues are not being allocated to the road sector;

(b) if so, the total revenue collected by Government and the extent to which they were allocated to the road sector during the last three years; and

(c) the proposals Government have to mobilise required resources for the road sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (DR. DEBENDRA PRADHAN): (a) No, Sir. Central Government is constitutionally responsible for development and maintenance of National Highways only and all other roads come under the jurisdiction of State Government. Toll, known as Permanent Bridge Fee is collected on the bridges in the National Highways and the entire amount is ploughed back for the development of National Highways.

(d) The details are as under:—

(Amount (Rs. Crore)

Year	Collected	Allocated
1995-96	52.04	74.00
1996-97	48.61	65.88
1997-98	54.41	48.61

(c) Proposals are in conceptual stage and hence no further details can be given.

Construction of rest areas on N.H. 5.

1071. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT: be pleased to state:

(a) whether Government have received requests for construction of Rest Areas on N.H. 5 in Andhra Pradesh;

(b) whether it is a fact that NHAI is not responding adequately to such requests;

(c) what measures are proposed to be taken to expeditiously move on such public interest requests by NHAI; and

(d) the details of steps taken in 1998-99 by NHAI in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (DR. DEBENDRA PRADHAN): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. NHAI is responding adequately to such requests.

(c) NHAI is attending to public interest requests expeditiously by taking necessary action for implementation if the requests are found feasible.

(d) In pursuance of the two requests received, it has been decided to provide one truck lay-by at Km. 49.3 on NH 5. A site for Rest Area has also been indentified in Km. 79.80 on NH 5.

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु निधियों का आवंटन

1072. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के मुख्य मंत्री और सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों को सशक्त बनाने और उनको मरम्मत करने के कार्य के लिए निधियों के आवंटन की मांग की है, यदि हां, तो इस मामले में की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या 27 सितम्बर, 1996 को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए केन्द्रीय जल-भूतल परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के सार्वजनिक निर्माण मंत्रियों की बैठक हुई थी, यदि हां, तो उसमें राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा की गयी मांगों के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां। चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के

लिए राजस्थान सरकार को निम्नलिखित धनराशि आबंटित की गई है:—

रा०रा० (मूल)	:	32 करोड़ रु०
रख-रखाव एवं मरम्मत	:	35.85 करोड़ रु०

(ख) जी हां, की गई कार्रवाई इस प्रकार है:—

(i) बी ओर टी के तहत शुरू किए गए उदयपुर बाइपास का निर्माण पूरा कर लिया गया है और इसे चालू कर दिया गया है।

(ii) राज्य के लिए निधियों का आबंटन बढ़ा दिया गया है।

(iii) यदि अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध होते है तो निधियां शीघ्रता से जारी की जा रही हैं।

Development of Jetties/Small Ports

1073. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme for the development of jetties/small ports in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any such request from the State Government of Gujarat is pending with Government; and

(d) is so, the details thereof and the likely time by which the request will be cleared?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (DR. DEBENDRA PRADHAN): (a) Development of jetties/small ports is the responsibility of the State Governments.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

मुम्बई पत्तन न्यास में आरक्षण नियमों का उल्लंघन

1074. **श्री मुनव्वर हसन:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मुम्बई पत्तन न्यास में कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी आरक्षण नियमों का उल्लंघन किये जाने के संबंध में पिछले दो वर्षों से शिकायतें करते आ रहे हैं लेकिन मुम्बई पत्तन न्यास इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार मुम्बई पत्तन न्यास में कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अनु०जा०/अनु०ज०जा० के कुछ कर्मचारियों और मुम्बई पत्तन न्यास की अनु०जा०/अनु०ज०जा० तथा अ०पि०व० वैलफेयर एसोसिएशन ने भी सरकार के संशोधित पत्तन आधारित आरक्षण आदेशों की पत्तन की व्याख्या के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक पत्तन अब तक की गई सभी पदोन्नतियों को अनंतिम समझ रहा है।

(ङ) मुम्बई पत्तन को इस संबंध में संबंधित सरकारी अनुदेशों का सख्ती से कार्यान्वयन करने की सलाह दी गई है।

Land for Gangavaram Port

1075. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minsiter of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government of Andhra Pradesh has requested to hand over 100 acres of land by the Visakhapatnam Steel Plant for Gangavaram Port; and

(b) if so, the action taken on the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (DR. DEBENDRA PRADHAN): (a) and (b) Yes, Sir. The Ministry of Steel & Mines have taken a